राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 268/2013 अनवान गंगाराम बनाम बगतावरी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19.03.2020 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अप्रार्थी बगतावरी के विरूद्ध दिनांक 05.02.2014 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा कोई आपति जाहिर न करते हुये प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने में स्वीकारोक्ति प्रदान की। वकील प्रार्थी की स्वीकारोक्ति पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 05.02.2014 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। अप्रार्थीया द्वारा अपना जवाव प्रार्थना–पत्र भी जवाव प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाव प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीया द्वारा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को यदि स्वीकृत किया जाता है कि मुझ अप्रार्थीया को रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप भूमि दी जाती है तो अप्रार्थीया को रास्ता स्वीकृत करने में कोई आपति नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की वहस सुनी। दौराने वहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीया के जवाव प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले नियमानुसार राशि देने के सहमत है परन्तु रास्ता के बदले भूमि देने पर सहमत नहीं हैं।

अप्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा रास्ता के बदले में भूमि की मांग करते हुये प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने बावत स्वीकार किया।

उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में अद्योहस्ताक्षर द्वारा सम्बधित पटवारी हल्का, सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक तथा नायव तहसीलदार हनुमानगढ़ के साथ संयुक्त रूप मौका निरीक्षण किया। दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीया बगतावरी द्वारा निवेदन किया कि यदि अप्रार्थीया को रास्ते के भूमि के बदले भूमि दी जाती है तो रास्ता देने पर अप्रार्थीया को कोई आपति व एतराज नहीं हैं। समायत बहस मनन किया। पत्रावली का अवलोकन वाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए/आर.टी.ए. स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर चक 16 एन.डी.आर. के खाता संख्या 33/28 के पत्थर नम्बर 146/350 के किला नम्बर 20 व 21/2 में पश्चिमी किनारे पर बने खाला के साथ उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में 0.012 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी की खातेदारी भूमि पत्थर नम्बर–146/350 (40) के किला नम्बर 13 में 0.024 हैक्टर भूमि जो किला नम्बर 14 के चिपती हुई भूमि का खातेदार घोषित किये जाता है।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुआवजा राशी जमा होनें पर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.09 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested